UPAZ010086142024

**न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़**

राज्य बनाम महेन्द्र यादव आदि

सत्र परीक्षण संख्या–499/2024
अपराध सं०–45/2024
धारा–34, 302, 120बी भा०दं०सं० व
3/25 आयुध अधिनियम
थाना–बरदह, जनपद आजमगढ़

**दिनाँक–28.04.2026**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पूर्व में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र 38ख व उसकी आपत्ति दिनाँकित 17.04.2026, जो कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दी गयी है, पर पक्षकारों को सुना जा चुका है। पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 द०प्र०सं० पर नियत है।

दिनाँक 20.05.2026 को प्रार्थना पत्र 38ख जरिये अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता धारा–311 द०प्र०सं० के तहत इस आशय का दिया था कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी चन्दे लाल पी०डब्लू०–1 की जिरह के दौरान निम्न चार बिन्दुओं पर प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकी है। अतः उन्हें प्रतिपरीक्षा हेतु पुनः बुलाया जाना आवश्यक है।

1. घटनास्थल पर साक्षी के पहुँचने का समय व साधन,
2. घटनास्थल पर पहुँचने का विशिष्ट कारण,
3. अपराध में प्रयुक्त हथियार के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न,
4. मामले के अन्य साक्षीगण के घटनास्थल पर पहुँचने का समय और उनके नाम तथा संख्या।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में दिनाँक 17.04.2026 को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा लिखित आपत्ति देते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थना पत्र मात्र विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से दिया गया है और प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दु के सम्बन्ध में साक्षी पी०डब्लू०–1 से पहले ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे आपत्ति में उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था यग्या पाल व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार जे०आई०सी० 2002(1) पेज 816 तथा जे०आई०सी० 2002(1) पेज 489 के अनुसार गम्भीर मामले में समझौता करने का पक्षकारों को कोई अधिकार नहीं है और उक्त प्रकरण

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.04.28 15:28:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा–302 भा०दं०सं० से सम्बन्धित है। ऐसे में मात्र सुलह हो जाने के कारण अभियुक्तगण साक्षी को पुनः बुलाने की याचना कर रहे हैं।

सुना और न्यायालय का पत्रावली किया। पत्रावली के के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र 38ख की धारा–311 द०प्र०सं० दिया गया है। धारा–311 द०प्र०सं० के अनुसार–

**"धारा–311 दं०प्र०सं० में प्राविधानित किया गया है कि– कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसको पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा करा सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है,तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।"**

आपराधिक विधि के अनुसार धारा–311 द०प्र०सं० के अधिकार को न्यायालय स्वतः या अभियोजन अथवा अभियुक्त के किसी भी आवेदन पर लागू कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिया गया है। धारा–311 द०प्र०सं० में प्रमुख विधि व्यवस्था निम्नलिखित हैं–

**1. राजा राम प्रसाद यादव बनाम स्टेट आफ बिहार (2013) 14 SCC 461**

**2. नताशा सिंह बनाम सी०बी०आई०(राज्य) (2013) 5 SCC 741 में दिये गये सिद्धांत अनुसार–**

The power under Section 311 CrPC must therefore, be invoked by the court only in order to meet the ends of justice for strong and valid reasons and the same must be exercised with care, caution and circumspection. The court should bear in mind that fair trial entails the interest of the accused, the victim and the society and, therefore, the grant of fair and proper opportunities to the persons concerned, must be ensured being a constitutional goal, as well as a human right.

ऊपरवर्णित विधि व्यवस्था में दिये गये सिद्धांत के क्रम में यह भी निकलता है कि न्यायालय यदि चाहे तो न्याय के हित में किसी भी साक्ष्य की पुनः प्रतिपरीक्षा का अधिकार दे सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जबन चार बिन्दुओं पर प्रश्न पूछे जाना कहा है वे चार बिन्दु वास्तव में पूर्व में सही क्रम साक्ष्य में नहीं आये हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमों का पालन करते हुए न्यायालय के समक्ष न केवल प्रार्थना पत्र दिया गया है अपितु यह भी बताया है कि किन बिन्दुओं पर साक्षी से जिरह करना चाहते हैं।

जहाँ तक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पक्षकारों के मध्य सुहल हो जाने और इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिये जाने का कथन किया गया है, इस सन्दर्भ में न्यायालय का मानना है कि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही में इस प्रकार का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अतः दिये गये प्रार्थना पत्र को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि पक्षकारों के मध्य सुलह हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

ऊपरवर्णित विधि व्यवस्था तथा तथ्यों के क्रम में न्यायालय के अनुसार अभियुक्तगण की ओर से दिया गया प्रार्थना पत्र 38ख दिनाँकित 20.05.2025 स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्तगण की ओर से दिया गया प्रार्थना पत्र 38ख अन्तर्गत धारा–311 द०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। साक्षी पी०डब्लू०–1 चन्दे लाल यादव से बचाव पक्ष को, बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 38ख में दर्शित चार बिन्दुओं पर जिरह करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सहायक जिला शासकीय अधिक्ता (फौजदारी) तथा सम्बन्धित थाने के पैरोकार को आदेशित किया जाता है कि वह साक्षी पी०डब्लू०–1 चन्दे लाल यादव को नियमानुसार जिरह हेतु पुनः तलब कर दिनाँक 01.05.2026 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403